भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.- 5526

दिनांक **06.04.2022** को उत्तर देने के लिए

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता

5526. **श्री गोपाल शेट्टी:**

क्या ***प्रधानमंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते की सुविधा प्रदान की जाती है;
(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कितनी राशि है;
(ग) क्या सरकार ने वर्तमान में चिकित्सा उपचार पर बढ़ती लागत और खर्च को देखते हुए, विशेषकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा भत्ते की राशि में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संचालित अन्य तदनुरूपी स्वास्थ्य योजनाओं के दायरे से बाहर किसी अन्य क्षेत्र में निवास करने वाले केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जो उस योजना के अंतर्गत ओपीडी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, अपने दिन-प्रतिदिन की चिकित्सा, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, पर होने वाले व्यय का वहन के लिए प्रतिमाह नियत चिकित्सा भत्ता(एफ़एमए) प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ग) और (घ):- नियत चिकित्सा भते की रकम, जो वर्ष 1997 में 100/- रुपये प्रतिमाह नियत की गई थी, उसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है। नियत चिकित्सा भत्ते की रकम को दिनांक 01.07.2017 से 500/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

******